in an approximate loss of Rs. 1,92,36,88,590 occurred in the year 1991. In January and February, 1992, there were 2806 fire incidents with an approximate loss of Rs. 24,18,64,470.

**Visit of All Party Committee to Ayodhya**

254. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the All-Party Committee appointed by Government to visit Ayodhya in the wake of demolition of some structures in the disputed shrine by Uttar Pradesh Government has submitted its report; and

(b) if so, what are the main re-commendations of the Committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) Yes, Sir.

(b) The Report is being processed.

**Elections in Jammu and Kashmir**

255. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the five leaders in Jammu and Kashmir, who were recently released by Government have declared in unison that they work for seeking right of self-determination for Kashmiris and they would not participate in any political process in Jammu and Kashmir;

(b) whether Government propose to hold General Elections in Jammu and Kashmir; and

(c) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) There are reports that the five leaders of Jammu & Kashmir who were recently released have given statements demanding the right of self determination for the people of Jammu & Kashmir.

Though it is difficult to indicate a definite time frame, the Government are keen to create favourable conditions for holding elections at the earliest so that a representative Government can be entrusted with the task of governing the State.

**Demand for Jharkhand State**

256. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have recently held talks with the activists of Committee on Jharkhand matters and the Chief Ministers of Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh and Orissa on a demand for a separate Jharkhand State; and

(b) if so, what is the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) The Union Home Minister has held meetings on Jharkhand matters with the Chief Minister of Bihar and the representatives of Chief Ministers of West Bengal and Madhya Pradesh on 4-4-1992. The Chief Minister of Orissa did not attend the meeting but conveyed his views to the Home Minister. Meetings were also held with the representatives of major political parties and Jharkhand Groups in Bihar on 6-4-1992 and 7-4-1992 respectively. The Government of India have made a note of the views expressed.

**संसद सदस्यों हेतु सुरक्षा प्रबन्ध**

257. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 के दौरान संसद के दोनों सदनों के कितने संसद सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की गई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा सुरक्षा प्रबन्धों पर कितनी राशि खर्च की गई ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) और (ख) वर्ष 1991–92 के दौरान संसद के 82 सांसदों को दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। सुरक्षा कार्मिकों, वाहनों आदि पर 2.38 करोड़ रुपए (लगभग) खर्च किया गया।

**दिल्ली के लिए विधान सभा**

**258. श्रीमती सुषमा स्वराज :**
**डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1992 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "दिल्ली टू हैव 69 मेम्बर असेम्बली" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के लिये प्रशासनिक ढांचे संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रस्ताव के अन्तर्गत विद्युत और जल प्रदाय तथा मल व्ययन विभागों को दिल्ली नगर निगम के कार्य-क्षेत्र से अलग करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो नगर निगम को सौंपे जाने वाले कार्यों और दायित्वों का ब्यौरा क्या है और क्या यह भी सच है कि इस प्रस्तावित ढांचे के कारण प्रशासनिक व्यय में भी वृद्धि होगी और यदि हां, तो वर्तमान प्रशासनिक व्यय की तुलना में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये विधान सभा और मंत्रि परिषद् की व्यवस्था करने के लिये संविधान (69 वां संशोधन) अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये सरकार अधिनियम 1991 की अधिनियमित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये सरकार अधिनियम 1991 की धारा 3 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 70 होगी।

(ग) और (घ) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती जिलों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि**

**259. श्रीमती सुषमा स्वराज :**
**श्री रणजीत सिंह :**
**सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
**डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेश से निरन्तर घुसपैठ होने के कारण पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती जिलों, विशेष रूप से नादिया जिले की जनसंख्या वृद्धि की दर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान जनसंख्या वृद्धि की राष्ट्रीय दर की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नादिया जिले की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश के इसी समस्या से ग्रस्त अन्य जिलों के संबंध में जानकारी मांगी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर "हां" हो तो उन स्थानों के नाम क्या-क्या है जिनकी जनसंख्या में विदेशी घुसपैठ के कारण अपेक्षाकृत